SDO प्रा.पत्र प्र.सं. 19/2023 Online No. 2023/39

Smt. नानी बाई व अन्य / राज० राज्य व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुक्त
	30 दिवस को प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित नहीं है क्योंकि अधिवक्ता प्रार्थीगण को प्रार्थीगण को यह कहा रहा था कि अब भी काम लेकर नहीं व प्रार्थीगण से आवश्यकता होगी तो पुनर्चित कर पुकारा जाएगा, हर पेशी पर आपको आने की आवश्यकता नहीं है प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण की जानकारी करने पर प्रकरण दिनांक 13/7/2022 को कार्यवाही हेतु अगली पेशी के खारिज कर दिया गया फिर जानकारी प्रार्थीगण को दिनांक 6/12/2022 को हुई प्रार्थीगण ने दिनांक 8/12/2022 को प्राप्त प्रा.पत्र पुनः बाद बलोस्त के प्रार्थना पत्र को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र की धारा 05 कानून मियाद का भी एक प्रार्थना पत्र बलोस्त के प्रार्थना को कण्डोन करते हुए प्रार्थनापत्र 01-12-01 व धारा 151 प्रा.पत्र स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है साथ ही प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की है अतः प्रार्थीगण द्वारा बलोस्त के पुनः पुनः प्रार्थना पत्र के कथन को कण्डोन करते हुए प्रा.पत्र आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। मूल प्रकरण तलब कर पुनः नम्बर पर लिया जावे। प्रा.पत्र मूल प्रकरण के साथ संलग्न करें। पत्रावली रेकर्ड हो कर नम्बर के बाद करें।

27/2/2023

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा